

ment yarn should be regulated as under:—

(1) Export Houses should not be permitted to import polyester filament yarn against export of unconnected products. In case it is not feasible, only manufacturer-cum-exporters of synthetic filament yarn textiles may be given this facility for captive consumption and against export obligation of synthetic filament yarn goods.

(2) The actual users allocation should be confined to artsilk industry only.

(3) Any major policy decision should be taken in consultation with the Export Promotion Council.

(c) The points raised by the Association have been considered and it has been decided that the policy as laid down should be allowed to operate and a review should be undertaken in December, 1977.

Lightning Strike by Air India Crew

2369. SHRI RAMANAND TIWARY: Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether his attention has been drawn to news item entitled 'Lightning Strike by Air India Crew, in Indian Express of 27th October, 1977; and

(b) the reaction of Government thereto and steps proposed to be taken to avoid its recurrence in future?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK). (a) Yes, Sir.

(b) The Air India Cabin Crew Association (AICCA) went on a flash strike without notice for one day on 26-10-77 for the alleged reason that Air India Management ignored AICCA's appeal not to permit carriage of arms, ammunitions and lethal weapons on board the aircraft. The Air-India Management held discussions with the representatives of the Association to restore normalcy but the

Association did not respond favourably and continued to disobey lawful orders. The Management was constrained to issue a notice of lock-out as per provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, in the Inflight Service Department of Air-India to be effective from 2-12-1977, or any day thereafter. Air-India Management, however, continued efforts for an amicable settlement. The Regional Labour Commissioner (Central) fixed the conciliation proceedings on the issue on 21st November, 1977. However, no understanding was reached. Air-India Management held bilateral discussions with the Cabin Crew Association on the 24th November, 1977 and settlement was reached. The Cabin Crew Association withdrew their directive and agreed to restore normalcy. The Association also apologised on behalf of the Cabin Crew for participating in the strike on the 26th October, 1977. The Air-India Management have, therefore, withdrawn the lock-out notice and the suspension orders and charge sheets issued to the Cabin Crew members.

It is always the endeavour of Air-India Management to settle such disputes by mutual discussions.

बैंक धाफ राजस्थान में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की नियुक्ति

2370. श्री जगदीश प्रसाद माचुर : क्या बिस्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार की नीति के विरुद्ध बैंक धाफ राजस्थान लिमिटेड में अभी तक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किसी भी व्यक्ति को नियुक्त न किये जाने के क्या कारण हैं ?

बिस्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पद सुरक्षित रखने के वास्ते आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) द्वारा जारी किए गए आदेश केवल सरकारी क्षेत्र के बैंकों

पर लागू होते हैं। वे गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर लागू नहीं होते। अलबत्ता वे सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बारे में सरकार द्वारा अपनाई गई सामान्य नीति का अनुसरण करने के लिए स्वतंत्र हैं।

भारतीय सामान के निर्यात में गिरावट को रोकने के लिये किये गये उपाय

2372. श्री सुशील कुमार धारा : क्या आर्थिक तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा दी गई सुविधाओं के अधीन निर्यात किये जा रहे भारतीय सामान के निर्यात में गिरावट को रोकने तथा निर्यात व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य में वर्तमान सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ,

(ख) यूरोपीय देशों को हमारे निर्यात में वृद्धि की क्या संभावनाएँ हैं , और

(ग) ब्रिटेन के यूरोपीय आर्थिक समुदाय में प्रवेश तथा अन्य कई कारणों के फलस्वरूप भारत तथा ब्रिटेन के बीच व्यापार के अन्तर्ग को पूरा करने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

आर्थिक तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) . (क) पिछले कुछ वर्षों में यूरोपीय आर्थिक समुदाय को भारतीय निर्यात बढ़ते रहे हैं। यूरोपीय आर्थिक समुदाय को हमारे निर्यात व्यापार में न केवल गिरावट रोकने अपितु उसमें वृद्धि भी करने

के लिए अनेक उपाय किए गए हैं जिनमें समुदाय की सामान्य अधिमान प्रणाली के अधीन उपलब्ध टैरिफ लाभों का उपयोग करते हुए इन बाजारों को निर्यात बढ़ाने के लिए व्यापार तथा उद्योग में दिव्यचस्पी तथा जागरूकता पैदा करना शामिल है। इस संदर्भ में अन्य विभिन्न प्रकार की पहल भी की जाती है, यथा विशेषीकृत मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना, उत्पाद दलों के दौरे, कतिपय उत्पादों के बारे में भिन्न-भिन्न भाषाओं में विवरणिकाएँ छापना तथा वितरित करना, इन बाजारों की पसन्द के मुताबिक भारतीय उत्पादों का अनुकूलन तथा आणवोधन।

(ख) इन बाजारों का निर्यात बढ़ाने की संभाव्यताएँ अनेक बातों पर निर्भर होंगी, यथा हमारे हित के उत्पादों के लिए बाजार में निर्बाध प्रवेश इन देशों में विद्यमान आर्थिक परिस्थितियाँ हमारे उत्पादों की प्रतियोगिताक्षमता, क्वालिटी, मानकों के अनुरूप माल का होना समय पर मुपुर्दगी देना आदि। हमारा यह मत प्रयास रहता है कि इस क्षेत्र को निर्यात बढ़ाने के लिए सभी संभव उपाय किए जाएँ।

(ग) विगत कुछ वर्षों में ब्रिटेन को भारतीय निर्यात बढ़ते रहे हैं। सगत कारणों में समुचित उपबन्धों द्वारा ब्रिटेन के बाजार के सम्बन्ध में कतिपय वस्तुओं से सम्बन्धित हमारे हितों का यथासंभव संरक्षण करने के अलावा, ब्रिटेन को होने वाले निर्यातों में वृद्धि करने के लिए अधिमानों का सामान्यीकृत योजना के अन्तर्गत उपलब्ध टैरिफ लाभों का उपयोग करने के लिए कार्यवाही प्रारंभ की गई है। इसके अतिरिक्त, ब्रिटेन को होने वाले हमारे निर्यातों में वृद्धि करने के लिए सेमिनार आयोजित करना, मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना, प्रतिनिधिमंडलों के दौरे आयोजित करने आदि जैसे बहुत से संवर्धनात्मक कदम भी उठाए गए हैं।